तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 15/2020 चअनवान चेतनराम बनाम मोहरसिंह वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस	

आदेश

दिनांक 14.06.2023

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा
2. विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री पवन सिंहल
3. विप्रार्थी संख्या 04 की तरफ से अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी

अधिवक्ता उभयपक्ष की हस्तगत पत्रावली पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2017 को अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर आदेश दिया कि दोनों पक्ष अपीलाधीन आराजी मौजा खरताणियों का तला पटवार हल्का कानोड तहसील गिड़ा के खेत खसरा संख्या 138, 676, 677त्र 678, 735/678, 737/678 रकबा क्रमशः 01.14 बीघा, 00.03 बीघा, 0.05 बीघा, 237.16 बीघा, 0.12 बीघा व 156.04 बीघा कुल रकबा 396.14 बीघा भूमि की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं अपीलाधीन आराजी का बेचान नहीं करने बाबत आदेश जारी किया गया। अपीलांटस खेताराम का देहान्त दिनांक 23.08.2018 को हो गया था किन्तु पटवारी फोतगी नामान्तकरण नहीं किया गया एवं स्थगन का हवाला देते हुए रिकॉर्ड में बदलाव नहीं किया जाना बताया। श्रीमान न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी राजस्व अधिकारियों यथा तहसीलदार गिडा व पटवार कानोड को थी स्वयं खेताराम ने स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी राजस्व अधिकारियों यथा तहसीलदार गिडा व पटवार कानोड को थी स्वयं खेताराम ने स्थगन आदेश की प्रति दिनांक 20.09.2017 को पटवारी को दी थी जिसकी प्राप्ति प्रार्थी के पास है। जिसके क्रम में दिनांक 17.09.2018 को तहसीलदार गिडा को स्थगन की सूचना दी जिसकी भी प्राप्ति प्रार्थी के पास है वर्तमान में दिनांक 17.03.2020 व 28.07.2020 को भी स्थगन की प्रतियां विप्रार्थी संख्या 01 व 04 को दी थी जिससे विप्रार्थीगण को स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी थी उसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी खसरा संख्या 737/678 रकबा 76.01 बीघा व खसरा संख्या 783/678 रकबा 122.06 बीघा में खातेदार उतरदाता कसुम्बी पत्नी नगाराम की फोतगी नामान्तकरण संख्या 224(180) भरकर पटवारी विप्रार्थी संख्या 01 श्री मोहरसिंह ने नामान्तकरण खोलकर कसुम्बी के स्थान पर जरिये वसियत विप्रार्थी संख्या 02 नरपतराम व 3 ताजाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कायम करते हुए सरपंच सवाईराम से उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करवा दिया एवं अधिकार अभिलेख कसुम्बी का नाम हटाकर नरपतराज व ताजाराम का नाम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कर न्यायालय स्थगन की अवमानना की है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

विप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी में विरासत का नामांतकरण भरा गया है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विरासत के नामान्तकरण से अपील पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश पारित है इस आशय की नकल पटवारी को प्रश्नगत नामांतकरण खोले जाने के बाद पेश की गई। पटवारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किसी भी प्रकार से न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की गई। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जावे।

विप्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि पक्षकार के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन के दौरान पारित नामांतकरण को सरपंच द्वारा पारित किया गया। हस्तगत आवेदन तहसीलदार गिड़ा के पद पर रहते हुए पक्षकार के पदीय कर्तव्य के विरूद्ध पेश नहीं किया गया। अतः हस्तगत आवेदन विप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की हस्तगत अवमानना की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर बहस सुनने एवं गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 18.09.2017 की प्रति दिनांक 20.09.2017 को तत्कालिन पटवारी को पेश की गई जिसकी प्राप्ति की पावती पत्रावली में पेश है। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी पर स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद भी राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 18.09.2017 की प्रति नामांतकरण संख्या 224 के पारित होने से पूर्व मोहरसिंह पटवारी को दी हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रकट नहीं है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रति दिनांक 17.03.2020, 28.07.2020, 18.09.2020 को मोहरसिंह पटवारी को दी जो नामांतकरण की प्रक्रिया के पश्चात की कार्यवाही है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक में अवमानना याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नामांतकरण संख्या 224 दिनांक 05.12.2019 खारिज किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिति को बाहल कर न्यायालय को अवगत करे। मोहरसिंह पटवारी कानोड को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित स्थगन आदेश की गंम्भीरतापूर्वक पालना की जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 14.06.2023 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर